न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

विविध प्रकरण कं. / 2015

रेस्टो 1372-II-15

श्री मुकेश भार्गव - एडवोकेट
द्वारा आज दि. 5-6-15 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
5-6-15 एडवोकेट
ग्वालियर

अजय कुमार यादव पिता गयाप्रसाद यादव
निवासी कोदईली तहसील अनूपपुर
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1. पूरन प्रसाद पिता स्व. भूपतराम
2. चिन्ता पिता स्व. भूपतराम

सभी निवासी ग्राम कोदईली थाना तहसील
जिला अनूपपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

म.प्र. भू. राजस्व संहिता, 1959 की धारा 9 के अंतर्गत निर्मित नियमों के नियम 32 के अधीन आवेदन पत्र ।

माननीय महोदय,

आवेदक का आवेदन निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, आवेदक का प्रकरण कमांक 315-III/2013 निग. माननीय न्यायलाय के समक्ष दिनांक 28-4-15 को नियत था।

2– यह कि, नियत दिनांक 28-4-15 को आवेदक के अधिवक्ता अभिभाषक संघ के निर्णय के अनुसार सामूहिक रूप से कार्य से विरत थे। आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था इस कारण आवेदक नियत दिनांक 28-4-15 को उपस्थित नहीं हो सका और प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया जिसकी जानकारी आवेदक के अधिवक्ता को मई में खारिज प्रकरणों की सूची

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन 1372—दो / 2015 जिला अनूपपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11—06—15	शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया। आवेदकपक्ष की ओर से श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता उपस्थित । तर्क सुने गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया अनुपस्थित का समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	